भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
एनएमए की 491वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त
स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए
दिनांक और समय- 04 सितम्बर, 2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे

*****

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, एनएमए- **अध्यक्ष**
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएमए
3. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए
4. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए

कार्यसूची 01

490वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री मोहित अग्रवाल और श्री दीपक गर्ग, 20989, स्ट्रीट नंबर 2, पावर हाउस रोड, बठिंडा, पंजाब)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने एमसी नं. .4389, एमसीबी Z-1/09943, पंडिता वाली गली, किकर बाजार के पीछे, बठिंडा, पंजाब में 10.13 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 86.98 वर्गमीटर, मम्टी = 14.02 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्रीमती पूजा रानी पत्नी श्री राजिंदर कुमार, 1943, गांधी गली, आर्य समाज चौक के पास, बठिंडा, पंजाब)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 1943 के भाग में, MCB.Z-1-09623 का हिस्सा, गांधी गली, आर्य समाज चौक के पास, बठिंडा, पंजाब में 07.47 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 32.06 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ङ) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री अजय शंकर, श्री रवि शंकर, सुश्री रेणु गुप्ता, सुश्री अर्चना गुप्ता, पत्नी श्री नारायण दास, नारायण दास और निर्मला देवी के बच्चे, 362, सेंट नंबर 1/3ए, भट्टी रोड के पास, साराभा नगर, बठिंडा, पंजाब)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण स्थल के मालिक के रूप में आवेदकों (सुश्री रेणु गुप्ता, सुश्री अर्चना गुप्ता और निर्मला देवी) का स्वामित्व सिद्ध करने के लिए संपत्ति दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। आवेदक सक्षम प्राधिकारी, पंजाब के माध्यम से संपत्ति दस्तावेज फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री रजनीश पुरी पुत्र श्री सुभाष चंद पुरी और श्री हरीश पुरी पुत्र श्री सुभाष चंद पुरी, वीपीओ संघोल, तहसील खमनन, जिला - फतेहगढ़ साहिब, पंजाब - 140802)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने रेड लाइन, वीपीओ संघोल, तहसील - खमनन, जिला - फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में 07.38 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ (वाणिज्यिक) = 78.08 वर्गमीटर, जीएफ (आवासीय) = 81.22 वर्गमीटर, 1एफ = 119.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय सह वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(सरकारी जल आपूर्ति और स्वच्छता, उप-प्रभाग नं. 2, फतेहगढ़ साहिब और सरपंच ग्राम पंचायत संघौल, वीपीओ संघोल तहसील, खमनन जिला - फतेहगढ़ साहिब, पंजाब - 140802)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने खेवट नंबर 682/645, खतोनी नंबर 756 खसरा नंबर 41/5, 41/6, 41/7 किट 03 क्षेत्र 18 के-10 एम, संघोल, खमनन, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में 31.48 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ प्रस्तावित आरसीसी ओएचएसआर, वाटर टैंक = 42.90 वर्ग मीटर और गहराई 09.00 मीटर के तलक्षेत्र के नए पानी के टैंक (एक पानी का टैंक पहले से मौजूद है) के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और उसके दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए;

ड़) आवेदक को अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) खुदाई के समय आवेदक द्वारा भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उपनियमों तथा जोनल विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए; तथा

छ) खुदाई के समय, यदि कोई कलाकृतियां या पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं, तो उसे तुरंत एएसआई चंडीगढ़ सर्कल को सौंप दिया जाना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्रीमती पूजा रानी पत्नी श्री विनोद कुमार, मोहल्ला पासियन नूरमहल, तहसील -फिल्लौर, जिला - जालंधर, पंजाब - 144039)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर बी-7/341, मोहल्ला गुजरान, नूरमहल, तहसील - फिल्लौर, जिला - जालंधर, पंजाब में 11.43 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 67.47 वर्गमीटर, मम्टी = 11.53 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री महबूब एच बागबान और श्री फैरोज बी चौधरी, मिनाक्सी चौक मिर्धे गली रोड विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय और आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर मम्टी का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि इसे संलग्न भवन योजना में नहीं दिखाया गया है।

<u>ऑफलाइन नए मामले</u>

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्रीमती जिंसी गुलाब एपी, प्लाक्कल हाउस, अनापुझा पी.ओ., त्रिशूर, केरल-680667)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से संशोधित भवन योजना फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसमें प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख किया गया है जैसा कि फॉर्म-एलआई, स्व-घोषणा और संपत्ति दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है और सक्षम प्राधिकारी केरल को प्रस्तावित निर्माण स्थल की स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्री एस. राजूकुमार और पी.एम. अनीता, कौस्तुभाम हाउस, तिरुवनचिकुलम, कोडुंगल्लूर पी.ओ., त्रिशूर, केरल - 680664)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं.40/3-9, मेथला वीलागे, कोडुंगल्लूर, त्रिशूर, केरल में 09.75 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ मौजूदा जीएफ + 1 तल आवासीय भवन पर पहली मंजिल के विस्तार के साथ जीएफ (मौजूदा) = 111.31 वर्गमीटर, 1एफ (मौजूदा) = 61.69 वर्गमीटर, 1एफ (प्रस्तावित विस्तार) = 11.34 वर्गमीटर

तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्रीमती. ज्योति. के, कोरम्बिल हाउस, पेरूवनम, चेरप्पू पीओ, त्रिशूर, केरल- 680562)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ब्लॉक नंबर 030, आर. सर्वे नं. 13/14-1, उरकम गांव, त्रिशूर, केरल में 07.28 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 52.30 वर्गमीटर, 1एफ = 30.61 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 11</u>

(श्री उन्नीकृष्णन, अनेदथ किजाकेथिल हाउस, चेमनथाटा। पीओ, त्रिशूर, केरल- 680501)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी शामिल) के साथ संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। आवेदक टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से आवेदन फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 12</u>

(श्री चंद्रन और विलासिनी, नेदियादथ हाउस, अरियानूर पी.ओ., त्रिशूर, केरल - 680102)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया क्योंकि निर्माण स्थल केंद्रीय संरक्षित संस्मारक (सीपीएम), "छाता पत्थर, अरियान्नूर, केरल" के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है, जहां एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20ए (4) के अनुसार किसी निर्माण की अनुमति नहीं है।

<u>मामला संख्या 13</u>

(श्रीमती सानिला सारा पी जॉन, पुलिमूत्तिल हाउस, सुल्तान बाथरी पीओ, वायनाड, केरल- 673592)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ब्लॉक नंबर 018, सर्वे नंबर 535/4-2, सुल्तान बथरी गांव सुल्तान बथरी तालुक, वायनाड, केरल में 07.45 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ मौजूदा भूतल आवासीय भवन पर छत की सुरक्षा के लिए शीट रूफिंग कार्य के साथ जीएफ

(मौजूदा) = 152.96 वर्गमीटर तलक्षेत्र के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले नगर पालिका से 'कोई आपत्ति नहीं' भी प्राप्त करनी चाहिए और भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ग) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

ड़) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

च) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन विनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 14</u>

(श्री गोपाकुमार ए.एन., अक्षय हाउस, मैथ्री एक्सटेंशन, नूरानी पी.ओ., पलक्कड़, केरल - 678004)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन योजना (12.21 मीटर) के साथ फॉर्म-I/फॉर्म-II (11.30 मीटर) में ऊंचाई का बेमेल है। ।

ख) फॉर्म-II, स्व-घोषणा और संपत्ति दस्तावेजों की तुलना में भवन योजना में विभिन्न प्रस्तावित निर्माण स्थल पते का उल्लेख किया गया है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 15</u>

(श्रीमती प्रवीणा एम.टी., वेलापरम्बिल हाउस, रप्पाल, नथिकारा पी.ओ., त्रिशूर, केरल - 680503)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने ब्लॉक नंबर 018, आर. सर्वे नं. 86/10-7, कुन्नमकुलम वीलागे, त्रिशूर, केरल में 04.15 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 118.78 वर्गमीटर, पोर्च = 19.83 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन विनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 16</u>

(श्री सतीश एस नायर और श्रीजा सतीश, टीसी 64/2358, 'भवन', तिरुवल्लम पी.ओ., तिरुवनंतपुरम, केरल - 27)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि "आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है"। यह प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों की अनुमति का उल्लंघन है।

<u>मामला संख्या 17</u>

(श्री मोहिनुद्दीन, बेकल हाउस, पल्लिक्कारा, बेकल फोर्ड पी.ओ., कासरगोड, केरल-671316)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय और आवेदक को प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी शामिल)के साथ संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। आवेदक टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से आवेदन फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 18</u>

(श्रीमती मानप्रिया पात्रा, जगन्नाथ विहार, छतरपुर, गंजाम ओडिशा)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 156/3992, खाता नंबर 731/2444, मौजा - लिंगीपुर, भुवनेश्वर, जिला - खुर्दा, राज्य-ओडिशा में भवन योजना के अनुसार 12.74 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 133.13 वर्गमीटर, 2एफ = 104.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

मामला संख्या 19

(श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांव महाराष्ट्र, शाखा - ओंकारेश्वर, वार्ड क्रमांक 06, ब्रह्मपुरी, ओंकारेश्वर, ब्लॉक - पुनासा जिला - खंडवा, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित परियोजना पर प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति देने के लिए कहा।

मामला संख्या 20

(परियोजना निदेशक, एनएचएआई, खंडवा, मध्य प्रदेश, प्लॉट नं. 66-67, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दादाजी कॉलेज के पास, इंदौर रोड, खंडवा, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 98 (एस), 155 (बी), 69, 67/2, 88 गांव- आसिर, तहसील - नेपानगर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में सड़क के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**संरक्षित संस्मारक का नाम**	**प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण**
01.	असीरगढ़ में महादेव मंदिर, शाहनुमा का मकबरा	630 मीटर लंबाई × 45 मीटर 152+400 से 153+300 मीटर तक चौड़ाई।
02.	खुले मंच के साथ इदगाह फ्रंट, असीरगढ़	154 + 170 से 154 +920=750 मीटर। कुल लंबाई-750 मीटर। कुल चौड़ाई = 45 मीटर।

अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को अध्याय VI में दिए गए भवन संबंधी निर्धारित मापदंडों का पालन करना चाहिए और सभी हितधारकों को केंद्रीय संरक्षित संस्मारक (सीपीएम), "महादेव मंदिर, आसिरगढ़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" की अनुमोदित धरोहर उप-विधियों (एचबीएल) के अध्याय VII में दी गई स्थल विशिष्ट सिफारिशों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य एचबीएल में निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करेगा।

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ग) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

<u>मामला संख्या 21</u>

(श्री नरेंद्र एंगला पुत्र श्री दुर्गाराम एंगला और दीपिका पत्नी नरेंद्र एंगला, 15 ए श्री किशन एवेन्यू, फेज-3, खंडवा रोड, लिम्बोडिया, इंदौर, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को संशोधित भवन योजना जिसमें कुल ऊंचाई में मम्टी की संरचना शामिल है, प्रस्तुत करने के लिए कहा और सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से प्रस्तुत कर सकते है।

<u>मामला संख्या 22</u>

(श्री शुभम पटेल पुत्र श्री घनश्याम सिंह पटेल, सोडा का कुआ, जट्टी का तबेला, ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) संलग्न स्वामित्व दस्तावेज में प्रस्तावित स्थल पते के हाउस नंबर का उल्लेख नहीं है।

ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल के प्रस्तुत चित्र मम्टी नहीं दिखाते हैं, हालांकि सीढ़ी छत तक जाती है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 23</u>

(प्रशासक/मुख्य अधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद, अंबरनाथ नगर परिषद, तिलक पथ, स्टेशन रोड, अंबरनाथ, जिला - ठाणे (पश्चिम) महाराष्ट्र - 421505)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 14.02.2023 को आयोजित अपनी 380वीं आरजीपी बैठक में लिए गए अपने निर्णय को दोहराने और आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से 07.50 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ 'भक्त निवास' भवन के निर्माण के लिए एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या 24

(वीवीएफ लिमिटेड (प्लॉट का पट्टेदार), प्लॉट 109, सायन फोर्ट गार्डन के सामने, सायन (पूर्व) मुंबई- महाराष्ट्र - 400022)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक से प्रस्तावित परियोजना पर प्राधिकरण के समक्ष एचआईए रिपोर्ट तैयार करने वाले परामर्शदाता के साथ एक भौतिक प्रस्तुति देने के लिए कहा।

मामला संख्या 25

(श्रीमती अनिल कुमारी, वार्ड नंबर 1, पोरियन मोहल्ला, पी.ओ. और तहसील सुजानपुर, जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने खाता नंबर 2387/1012, 2468/2390, मोहाल सुजानपुर, मौजा भालेथ, पीओ और तहसील सुजानपुर, जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 09.25 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ और 1एफ के विस्तार तथा मौजूदा जीएफ 1तल आवासीय भवन के ऊपर दूसरे तल के निर्माण के साथ जीएफ (मौजूदा) = 48.65 वर्गमीटर, जीएफ = (प्रस्तावित) 58.41 वर्गमीटर, 1एफ (मौजूदा) = 48.65 वर्गमीटर, 1एफ (प्रस्तावित) = 59.41 वर्गमीटर, 2एफ (प्रस्तावित) = 18.57 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 26</u>

(श्री चमन लाल और श्री कृष्ण कुमार, वार्ड नंबर 9, पी.ओ. और तहसील सुजानपुर, जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने खसरा नंबर 1176/3, मोहाल सुजानपुर, मौजा भालेथ, पीओ और तहसील सुजानपुर, जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 09.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के विस्तार और मौजूदा भूतल के ऊपर प्रथम तल के साथ जीएफ (मौजूदा) = 45.98 वर्गमीटर + 05.78 वर्गमीटर (शौचालय ब्लॉक), जीएफ (प्रस्तावित विस्तार) = 10.36 वर्गमीटर, 1एफ (प्रस्तावित) = 56.34 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए प्रपत्र-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश को एनएमए निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा की पूर्व प्रस्तुति के अधीन अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>ऑनलाइन अनुपालन मामला</u>

<u>मामला संख्या 27</u>

(साहिल एम विरानी पार्टनर ऑफ एम्पायर रियल्टी, कार्यालय 201, तनिष्का कमर्शियल परिसर, को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अकुरली रोड, डब्ल्यूई राजमार्ग, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 2 और 3 सीटीएस नंबर 157/2 गांव मंडपेश्वर, बोरीवली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र में 59.90 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 15 मंजिलों के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। तलक्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:

तल	**तलक्षेत्र**
भूतल	287.05 वर्गमीटर
1st तल	186.37 वर्गमीटर
2रा तल	214.71 वर्गमीटर
3रा तल	214.71 वर्गमीटर
4था तल	223.65 वर्गमीटर
5वांतल	227.13 वर्गमीटर
6वांतल	227.13 वर्गमीटर

7वां तल	167.61वर्गमीटर
8वां तल	228.79 वर्गमीटर
9वां तल	238.85 वर्गमीटर
1वां तल	251.69 वर्गमीटर
11वां तल	263.72 वर्गमीटर
12वां तल	262.35 वर्गमीटर
13वां तल	262.35 वर्गमीटर
14वां तल	184.15 वर्गमीटर
15वां तल	262.35 वर्गमीटर
अग्निशमन टैंक	02.380 मीटर
भूमि के नीचे पम्प रूम	03.280 मीटर
भूमि के नीचे लिफ्ट पिट गहराई	01.650 मीटर

अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 28</u>

(श्री एन. कृष्णन, दरवाजा संख्या 97/74, राघवन स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600011)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 86/6, सेम्बक्कम गांव, ताम्बरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.86 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 104.63 वर्गमीटर, हेडरूम = 12.11 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>ऑफ़लाइन अनुपालन मामले</u>

<u>मामला संख्या 29</u>

(श्री सुभाष मित्रा और अन्य, प्लॉट नंबर 1226, 1226/1374 और 1226/1375, निदान के पास, बापूजी नगर, भुवनेश्वर, खोरधा, ओडिशा-751009)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 1226, 1226/1374 और 1226/1375, बीडीए द्वारा मंजूर लेआउट प्लॉट नंबर 1226-बी, खाता नंबर 76, मौजा- भुवनेश्वर सहारा यूनिट -1, बापूजी नगर, भुवनेश्वर, जिला - खोरधा, राज्य - ओडिशा में 11.35 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट +

3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट फ्लोर = 1एफ = 2एफ = 95.40 वर्गमीटर, 3एफ = 40.91 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 30</u>

(श्री आर. शिवनंतम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), पुरातत्व विभाग, तमिल वलार्ची वलागाम, तमिल सलाई, एग्मोर, चेन्नई, तमिलनाडु - 08)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट सर्वे नं. 294/2, गंगाकोंडा चोलापुरम गुरुवालापरकोविल गांव, तालुक - उदयारपालयम, जिला - अरियालुर, तमिलनाडु में 09.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल + स्तूपी के साथ जीएफ = 1571.66 वर्गमीटर, कुर्सी क्षेत्र = 1010.94 वर्गमीटर, लैंडस्केप क्षेत्र = 879.00 वर्गमीटर, एम्फीथिएटर = 1535.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के पुरातत्व संग्रहालय (एम्फीथिएटर) के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 31</u>

(श्री वी. मुरली, श्री टी. सुंदरगनेश, श्री वी.एस. रमेश कुमार, दरवाजा नं. 26, मुथन्ना नगर, साउथ वेल्लोर टाउन, तालुक - वेल्लोर, जिला - वेल्लोर, तमिलनाडु - 632001)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-II (1343.90 वर्गमीटर) के साथ फॉर्म-I/भवन योजना (1466.30 वर्गमीटर) में स्टिल्ट तलक्षेत्र बेमेल है।

ख) फॉर्म-I और भवन योजना में बेसमेंट तलक्षेत्र का उल्लेख किया गया था जबकि फॉर्म-II में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

ग) छत की ऊपरी संरचना अर्थात मम्टी, पैरापेट का निर्माण योजना में उल्लेख नहीं किया गया था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मामला</u>

<u>मामला संख्या 32</u>

(श्री पी.वी. श्रीनिवासन, अधीक्षण अभियंता, विशेष परियोजना विभाग, ग्रेटर चेन्नई निगम, अधीक्षण अभियंता, विशेष परियोजना विभाग, ग्रेटर चेन्नई निगम, ईवीआर पेरियार सलाई, पेरियामेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600003)

आवेदक ने 13.08.2025 को आयोजित 488वीं आरजीपी बैठक में प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसरण में प्राधिकरण के समक्ष एक और प्रस्तुति दी। आवेदक द्वारा यह समझाया गया था कि दो स्तर का बेसमेंट आवश्यक था क्योंकि आसन्न भूमिगत चेन्नई मेट्रो स्टेशन के साथ इंटर कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से एक स्तर की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित एमएमएफसी और कुरालगाम भवनों की ऊंचाई की न्यूनतम आवश्यकता का विस्तृत औचित्य प्रदान किया गया था। विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण ने अपने पहले के निर्णय की समीक्षा करने का निर्णय लिया और आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को विधिवत शामिल करते हुए सीए तमिलनाडु के माध्यम से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा:

क) प्रस्तावित **ब्लॉक नंबर 1 एमएमएफसी** की अधिकतम ऊंचाई को 46.50 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित किया जाना चाहिए और **ब्लॉक नंबर 2 कुरालगाम** को 42.00 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित किया जाना चाहिए।

ख) दो स्तरीय बेसमेंट की अधिकतम गहराई 08.00 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>अतिरिक्त कार्यसूची</u>

<u>मामला संख्या 33</u>

(श्री विनोद कुमार राय, श्रीमती पुष्प लता और श्री सुरेंद्र कुमार जैन, प्लॉट नंबर - 66, ब्लॉक - बी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर - 66, ब्लॉक - बी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 में 18.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 156.59 वर्गमीटर और बेसमेंट गहराई = 03.27 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 34</u>

(श्री महेश तनेजा, श्री राम किशन तनेजा और श्रीमती अनु तनेजा, बी-38, राणा प्रताप बाग के सामने, सीसी कॉलोनी, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर - 38, राणा प्रताप बाग के सामने जीटी रोड पर स्थित दिल्ली राज्य सरकार कर्मचारी सी.एच.बी.एस लिमिटेड का ब्लॉक - बी, सीसी कॉलोनी, दिल्ली -110007 में 18.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 125.245 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।